

### शांति भंग करने के 01 आरोपी गिरफ्तार :-

फजरुद्दीन हैड कानि० थाना मानटाउन ने श्री आरिफ पुत्र कमरुद्दीन जाति गद्दी मुसलमान उम्र 26 साल निवासी पचीपल्या थाना मानटाउन को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

### शराब पीकर वाहन चलाते 03 आरोपी गिरफ्तार :-

गिराज प्रसाद स०उ०नि० थाना मलारना डूगर ने 1. महेश पुत्र रामलाल जाति धोबी उम्र 28 साल निवासी डिडवारी थाना बौली को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

मदनलाल मीणा पु०नि० थानाधिकारी थाना खण्डार ने 1. कमल पुत्र नाथू जाति महावर उम्र 18 साल जाति कोली निवासी शीतला मोहल्ला खण्डार 2. अशोक पुत्र बाबूलाल उम्र 30 साल निवासी बालेर रोड खण्डार थाना खण्डार को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

### अवैध शराब बेचने का 01 आरोपी गिरफ्तार :-

भगवत सिंह स०उ०नि० थाना बौली ने रैवडमल पुत्र गैन्दया मीना जाति मीना निवासी तलाब की ढाणी मित्रपुरा थाना बौली को अवैध शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुखबिर की इतला पर आरोपी मित्रपुरा में 891 पब्बे देशी शराब बेचते हुए पाया गया। लाइसेंस बाबत पूछा तो संतोषजनक जबाब नहीं दिया। जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना बौली पर मु०न० 402/17 धारा 19/54, 54ए आबकारी एक्ट में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

### ध्वनि प्रदूषण का 01 आरोपी गिरफ्तार :-

मदनलाल पु०नि० थानाधिकारी थाना खण्डार ने कन्हैयालाल पुत्र रामगोपाल उम्र 21 साल निवासी सोनकच्छ थाना खण्डार को ध्वनि प्रदूषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर ट्रैक्टर पर तेज आवाज में स्पीकर बजाते हुए जा रहा था। जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना खण्डार पर मु० न० 228/17 4/6 rnc act मय मैमोरी कार्ड, स्पीकर, डेक मशीन के गिरफ्तार किया गया।

### दर्ज मुकदमात के 04 आरोपी गिरफ्तार :-

पूरणचन्द उ०नि० थाना गंगापुरसिटी ने दर्ज मुकदमात के आरोपी 1. सुरेश चन्द पुत्र श्री मन्याराम जाति मीना उम्र 35 साल निवासी नवाजीपुरा थाना पीलोदा, 2. लव कुमार पुत्र श्री दीनदयाल जाति ब्राह्मण उम्र 25 साल निवासी किशोरपुर थाना वजीरपुर, 3. मुनीराज पुत्र श्री कैलाश चन्द जाति मीना उम्र 26 साल निवासी छोटी उदेई थाना पीलोदा, 4. मनोज कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण जाति मीना उम्र 18 साल निवासी पीलोदा थाना पीलोदा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि मनोज पुत्र लक्ष्मण मीना उम्र 18 साल निवासी पीलोदा थाना पीलोदा ने दिनांक 11.11.17 को आरोपियान के विरुद्ध मु० न० 774/17 u/s 323,341,365,377,379 ipc में थाना गंगापुरसिटी पर स्वयं का अपहरण कर मारपीट एवं दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।